08

कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

संकल्प

संचिका सं0 2/खेल 1 कला 90/06

विषयः खेल छात्रवृत्ति (वृतिका) योजना

उपरोक्त विषयक विभागीय ज्ञापांकः 1938 दिनांकः 06.11.06 द्वारा खेल छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु संकल्प निर्गत किया गया था। उक्त संकल्प के अनुसार कंडिका–2 में यह उल्लिखित है कि –

2. यदि आवेदक इस अवधि में कोई अन्य छात्रवृत्ति/वृतिका/मानदेय प्राप्त कर रहा है या अन्य खेल योजना के अन्तर्गत निःशुल्क आहार/आवास तथा अन्य सुविधायें प्राप्त कर रहा है, वह इस छात्रवृत्ति (वृतिका) के लिये योग्य नहीं होंगे। यदि छात्रवृत्ति (वृतिका) प्राप्त करने वाला आवेदन पहले से ही ऐसी कोई वृतिका/सुविधा हासिल कर रहा है, तो उसे इस छात्रवृत्ति (वृतिका) को प्राप्त करने के लिये पहले प्राप्त छात्रवृत्ति/सुविधा/वृतिका/मानदेय को छोड़ना होगा। चयनित खिलाड़ी मात्र अपने अध्ययन के लिये अपने विद्यालय/महाविद्यालय/विश्व विद्यालय से विद्यालय शुल्क माफ करा सकता है। छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है।

अन्य प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगिताओं को भी छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था। सम्यक रूप से विचारोपरान्त सरकार ने उक्त संकल्प की कंडिका A(2) को निम्न रूप से संशोधित करने का निर्णय लिया है:–

'' स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तर के ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तर के ग्रामीण महिला खेलकूद प्रतियोगिता आदि में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।''

छात्रवृत्ति (वृतिका) दर

प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को	–	800/– प्रति माह
द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को	–	600/– प्रति माह
तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियो को	–	500/– प्रति माह

देय होगा।

यह छात्रवृत्ति उसी वर्ष के लिए देय होगा जिस वर्ष खिलाड़ियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं, साथ ही डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्रों एवं

आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों, से यदि कोई खिलाड़ी स्कूल गेम्स फेडरेशन, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तर के ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तर के ग्रामीण महिला खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करता है, वह भी छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा, परन्तु उनके प्रदर्शन में यदि ह्रास होता है तो आगामी वर्ष से उनका छात्रवृत्ति रिन्युवल नहीं किया जाएगा।

2. संकल्प की शेष शर्त्तें यथावत् रहेंगी।

3. यह योजना स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगी।

4. इसमें विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतियाँ सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/उपायुक्त/आयुक्त को सूचनार्थ भेजी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव

ज्ञापांक: 350 रॉंची दिनांक: 25/2/08

प्रतिलिपिः राज्यपाल के प्रधान सचिव झारखण्ड/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/वित्त विभाग झारखण्ड/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारियों/झारखण्ड ओलंपिक संघ/सभी खेल संघ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक: 350 रॉंची दिनांक: 25/2/08

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 50 अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को भेजी जाए।

सरकार के सचिव